

फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु.नं. 22/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए										
26.04.2019	<p>यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व सुजानगढ से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का चरला ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>भू-अभिलेख निरीक्षक जीली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 40 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र. सं.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>कोडासर जाटान</td><td>40</td><td>फौजीराम पुत्र नानूराम हिस्सा 1/36 जाति जाट निवासी कोडासर जाटान खातेदार</td><td>कोजीराम पुत्र नानूराम हिस्सा 1/36 जाति जाट निवासी कोडासर जाटान खातेदार</td></tr></tbody></table>	क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)	1.	कोडासर जाटान	40	फौजीराम पुत्र नानूराम हिस्सा 1/36 जाति जाट निवासी कोडासर जाटान खातेदार	कोजीराम पुत्र नानूराम हिस्सा 1/36 जाति जाट निवासी कोडासर जाटान खातेदार	
क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)								
1.	कोडासर जाटान	40	फौजीराम पुत्र नानूराम हिस्सा 1/36 जाति जाट निवासी कोडासर जाटान खातेदार	कोजीराम पुत्र नानूराम हिस्सा 1/36 जाति जाट निवासी कोडासर जाटान खातेदार								
	<p>निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ</p>											